

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत गौड़ा)

राजस्व आवेदन सं. ११५५ / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र श्री माधा बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र श्री माधा निवासी गौड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि राजस्व गांव गौड़ा के खाता संख्या 112 के खसरा संख्या 749/389, 751/389 रकबा कमशः 4.3463 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, रकबा 1.4569 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, जमाबन्दी संवत् 2075-78, में उनका नाम जगराम पुत्र माधा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, जबकि उनका शुद्ध नाम जगराम पुत्र माधा के स्थान पर जगदीश पुत्र श्री माधा है। इस तरह उनका नाम जगराम पुत्र माधा के स्थान पर जगदीश पुत्र श्री माधा ^{शुद्ध} कर रूस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.09.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र श्री माधा का राजस्व गांव गौड़ा के खाता संख्या 112 के खसरा संख्या 749/389, 751/389 रकबा कमशः 4.3463 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, रकबा 1.4569 हेक्टेयर, किस्म बारानी सोयम, जमाबन्दी संवत् 2075-78, में प्रार्थी का नाम जगराम पुत्र श्री माधा के स्थान पर जगदीश पुत्र माधा ^{शुद्ध} करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सेड़वा
दिनांक :

क्रमांक:-

तिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

13. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
14. प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र श्री माधा ^{शुद्ध} निवासी गौड़ा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
15. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

